बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और भारत के लिए इसके अर्थ इसके अर्थो की मार्गदर्शिका और अगले चरण

अगस्त, 2020

basel action network

Toxics Link
for a toxics-free world

IPEN
for a toxics-free future

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और भारत के लिए इसके अर्थ

इसके अर्थो की मार्गदर्शिका और अगले चरण

अगस्त 2020

बेसल एक्शन नेटवर्क (बी.ए.एन)

बेसल एक्शन नेटवर्क 1997 में 501 (सी)3 के अर्न्तगत स्थापित एक चैरिटेबल संस्था है, जो अमेरिका के सीएटल, वाशिंगटन में स्थित है । बी.ए.एन विश्व का एकमात्र संगठन है जो विषैले व्यापार और इसके विनाशकारी प्रभावो के वैश्विक पर्यावरणीय न्याय और आर्थिक अक्षमता का सामना करने पर केन्द्रित है । आज बी.ए.एन पत्रकारो, शिक्षाविदो, और आम जनता के लिए कूड़े के व्यापार के विषय में सूचना प्रसार केन्द्र के रूप में कार्य करता है । अपनी जांच के माध्यम से बी.ए.एन ने विकासशील देशो में खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर की दुखद घटना को उजागर किया ।

www.ban.org

आई.पी.ई.एनः जनहित के लिए एक विष-मुक्त-भविष्य बनाने के लिए गैर-सरकारी-संगठ्नो का एक वैश्विक नेटवर्क है । आई.पी.ई.एन में 116 से अधिक देशो में 550 से अधिक गैर-सरकारी संगठन शामिल है । ये एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते है कि विषैले रसायनो और धातुओ का उत्पादन, प्रयोग और निपटान ऐसे तरीको से नहीं किया जाए जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हो । आई.पी.ई.एन और इसके सहभागी संगठन रसायनो और कचरे के नियन्त्रण में एक प्रमुख शक्ति बन गए है और बिना किसी नुकसान के रसायनो को बढ़ावा देने और दुनिया के सबसे खतरनाक पदार्थो के उत्पादन को समाप्त करने के लिए एक अंर्तराष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित कर रहे है ।

ipen.org

टॉकिक्स लिंक

1996 में स्थापित टॉकिक्स लिंक एक भारतीय पर्यावरणीय अनुसंधान और पैरवी संस्था है जो विषैले प्रदूषण के विरुद्ध अभियान को मजबूत करने में सहायता करने, सफाई करने के विकल्प प्रदान करने और इस समस्या से ग्रस्त लोगो को एक साथ लाने के लिए सूचनाओ को प्रसारित करने में लगे है । टॉकिक्स लिंक का मिशन कथन है "पर्यावरण सम्बन्धी न्याय और विषाक्त पदार्थो से मुक्ति के लिए मिलकर काम करना"।

"हमने स्वयं भारत और विश्व के बाकी हिस्सो में अपने पर्यावरण और निकायो में जहरो के खतरों व स्त्रोतो और स्वच्छ और स्थायी विकल्पो के बारे में जानकारी को एकत्र और साझा करने का कार्य लिया है"। संस्था की विशिष्ट विशेषज्ञता पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक चिकित्सा और नगरपालिका का कचरा, अर्न्तराष्ट्रीय कचरा व्यापार और कीटनाशको के उभरते मुद्दो, निरन्तर होने वाले कार्बनिक प्रदूषको (पी ओ पी), खतरनाक भारी धातु संदूषण आदि के क्षेत्रो में निहित है । हमनें विभिन्न सर्वोतम प्रथाओ को सफलतापूर्वक लागू किया है और विभिन्न सहयोगी समूहो में जागरुकता फैलाने के अतिरिक्त उपरलिखित क्षेत्रो में नीतिगत बदलाव भी लाए है ।

toxicslink.org

आभार

आई.पी.ई.एन स्वीडन सरकार, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के जर्मन संघीय मन्त्रालय, और अन्य दाताओ द्वारा प्रदान की गई वितीय सहायता को साभार स्वीकार करता है । यह आवश्यक नहीं कि यहां व्यक्त विचार और व्याख्याएं अवश्य ही वितीय सहायता प्रदान करने वाली किसी भी संस्था की अधिकारिक राय को प्रतिबिंबित करें । विषय सामग्री की पूर्ण जिम्मेदारी आई.पी.ई.एन की है ।

Sweden Sverige

फोटोग्राफी कवर : जहाज का तोड़ना (ग्रीनपीस): पृष्ठ 3 : महिला ई वेस्ट की जहाज में भरे सामान की सफाई कर रही है ।

बेसल समझौता क्या है?

सीमा के पार खतरनाक कचरे की गतिविधि और उनके निपटान को नियन्त्रित करने के लिए 22 मार्च 1989 को बेसल समझौते को स्वीकार किया गया और जो 5 मई 1992 को लागू किया गया। 1980 के अन्त में होने वाले खतरनाक कचरे की तस्करी से सम्बन्धित कई अर्न्तराष्ट्रीय घोटालो ने इस समझौते को आवश्यक बनाया । बेसल समझौते को उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को, विशेष रूप से विकासशील देशो की कमजोरियो को ध्यान में रखकर, कचरे के बुरे प्रभावो से सुरक्षित करना है । समझौते के दायित्वों में शामिल है 1) स्रोत पर कचरे को कम और छोटा करना; 2) जिस देश में कचरा उत्पन्न हो उसी देश में उसका प्रबन्धन करना; 3) कचरे की सीमा पार आने जाने की गतिविधियों को कम करके निम्नतम करना; 4) पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम तरीके से कचरे का प्रबन्धन करना; 5) "पहले से सूचित सहमति" के रूप में जानी जाने वाली एक अधिसूचना और सहमति तन्त्र के माध्यम से होने वाले कचरे के व्यापार को सख्ती से नियन्त्रित करना । वर्तमान में समझौते में 187 सहयोगी है ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन क्या है?

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन बेसल समझौता पार्टियों द्वारा किया गया अनुबन्ध है जो सदस्य राज्यो को प्रतिबंधित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी), यूरोपियन संघ (ई.यू), लिंकटेंस्टीन और अन्य सभी देश जिन्होने अन्य देशो को – मुख्यतः विकासशील या वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था बदलाव की स्थिति में है– समझौते द्वारा परिभाषित खतरनाक कचरे के निर्यात के प्रतिबन्ध के संशोधन की पुष्टि की है । विशिष्ट सामग्री के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें ।

प्रतिबन्ध संशोधन कब लागू किया गया?

प्रतिबन्ध संशोधन एक दीर्घकालिक मुद्दा था क्योंकि इस समझौते को लागू करने के लिए अपेक्षित देशो की संख्या की पुष्टि नहीं हुई थी। नवम्बर 2019 में क्रोएिटिया द्वारा समर्थन के बाद बेसल प्रतिबन्ध संशोधन 5 दिसम्बर 2019 को लागू हुआ । हालाकिं, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सभी यूरोपियन संघ के देश संशोधन के लागू होने से पहले से ही अपने राष्ट्रीय कानून में संशोधन करके बेसल प्रतिबन्ध संशोधन के प्रावधानो को लागू कर रहे थे ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन का इतिहास क्या है?

मार्च 2019 में, बेसल समझौते की रचना बेसल, स्विजरलैण्ड में, 1980 के दशक के अन्त में महामारी बन चुके, विषाक्त कचरे के व्यापार में हुई खतरनाक वृद्धि के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में की गई। हालाकिं, मूल समझौते में खतरनाक कचरे को सीमा के पार आने जाने पर प्रतिबन्ध नहीं था, बल्कि विकासशील देशो को अधिकतम निराशा हुई कि इसके लिए पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता थी । 1994 में पार्टियों के दूसरे सम्मेलन ने एक निर्णय के रूप में प्रतिबन्ध संशोधन को अपनाया और 1995 में फिर से प्रस्तावित संशोधन के रूप में किया । कुछ विकसित देशो की संशोधन को कमजोर या कम करने के प्रयासो की एक लम्बी श्रंखला, जिसमें समझौते की व्याख्या और उसे लागू करने में देरी, के बाद 2009 में पार्टियों के दसवें सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1995 में इसे स्वीकार करने के समय मतदान करने वाली पार्टियों और उपस्थित सदस्यो के 3/4 सदस्यो की सहमति से प्रतिबन्ध संशोधन लागू होगा । दस साल बाद 2019 में इसे लागू करने के अपेक्षित संख्या को पूरा करने के लिए क्रोएिटिया के बाद सेंट किट्स और नेविस अन्तिम दो देश थे । अधिक विस्तृत इतिहास के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।

क्या प्रतिबन्ध संशोधन उन पार्टियो के लिए भी बाध्य होगा जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है?

हां,ऐसा हो सकता है । हालाकिं तकनीकी रूप से संशोधन केवल उन लोगो के लिए बाध्यकारी है जो इसका समर्थन करते है, सभी को बेसल समझौते की पार्टियों को अन्य पार्टियों के आयात निषेध का सम्मान करना चाहिए ।[1] इस कारण, एक परिशिष्ट VII देश (ओ.ई.सी.डी, ई.यू, लिंकटेनस्टीन) बिना इस बात की परवाह के कि प्रतिबन्ध की पुष्टि की है या नहीं, गैर-परिशिष्ट VII देश (विकासशील या बदलाव की स्थिति में देश) के लिए खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते है जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को समर्थन दिया है जो उनके राष्ट्रीय आयात के निषेध को दर्शाता है । इसी तरह, एक विकासशील देश (गैर-परिशिष्ट VII बेसल देश), भले ही उन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार किया हो, वे परिशिष्ट VII के उन देशो से खतरनाक कचरा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार किया है, क्योंकि वे देश प्रतिबन्ध संशोधन के कारण गैर-परिशिष्ट VII देशो को खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते है । हालाकिं, यदि आयात करने वाले देश या निर्यात करने वाले देश एक सीमा पार की गतिविधि में प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करती है, तब यह संशोधन लागू नहीं होगा । इसलिए सभी देशो के द्वारा प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है ।

---

1 Article 4, 1, (b)

प्रतिबन्ध संशोधन के अर्न्तगत कौन से कचरे आते है ?

प्रतिबन्ध संशोधन में निरन्तर होने वाले कार्बनिक प्रदूषको (पी ओ पी), इलेक्ट्रॉनिक कचरा, अधिक अप्रयुक्त जहाज, अधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और अधिक विषाक्त भारी धातु शामिल है। इसमें प्लास्टिक, लोहे का चूरा या कागज का कचरा तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसमें दूषित या खतरनाक कचरे के पदार्थ/सामग्री शामिल न हो । औपचारिक रुप से, बेसल प्रतिबन्ध में बेसल परिशिष्ट में लिखे वे सभी कचरे शामिल होगे जिसमें परिशिष्ट III में बताई गई खतरनाक विशेषताएं हो । इसमें परिशिष्ट VIII में सूचीबद्ध सभी कचरे शामिल है (खतरनाक कचरा वर्ग समझा जाता है), जब तक यह नहीं बताया जाता है कि इनमें परिशिष्ट III में बताई गई खतरनाक विशेषताएं नहीं है। इसमें आवश्यक रूप से राष्ट्रीय आधार (अनुच्छेद 1(1) बी कचरे) पर निधार्रित खतरनाक कचरे को शामिल नहीं किया जाएगा, हालाकिं इन्हें वर्तमान कानून में वाछिंत बदलाव के साथ शामिल किया जा सकता है । और, इसमें परिशिष्ट II में शामिल कचरो को शामिल नहीं किया जाएगा जब तक देश ऐसा स्थापित न करे। हम देशो से यह आग्रह करते है कि जब वे अपने कानून को पास करे या वर्तमान कानून में संशोधन करें तो इन बाद की दो श्रेणियो को शामिल करें ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन में क्या नहीं करता है ?

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन परिशिष्ट VII देश (ओ.ई.सी.डी, ई.यू, लिकटेंनस्टीन), गैर परिशिष्ट VII देश (विकासशील या बदलाव की स्थिति में देश) या परिशिष्ट VII देशो के बीच व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । इसके बाद, जब तक संदूषण नहीं होता, यह गैर-खतरनाक कचरो, जैसे तांबे का चूरा, स्टील, एल्युमीनियम, कांच, पेपर आदि या यहां तक कि परिशिष्ट II बेसल कचरे (विशेष विचार के लिए कचरे), जिसमें वर्तमान में घरेलू कचरा, घरेलू कचरे की भस्म से राख और निकट भविष्य में विभिन्न कठिनाई से रिसायकल होने वाला प्लास्टिक कचरे (नया नार्वेजियन संशोधन), के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है ।

क्या प्रतिबन्ध संशोधन के अर्न्तगत विशेष परिस्थितियों, जैसे अलग समझौते या आरक्षण , में कोई अपवाद है ?

नही

प्रतिबन्ध संशोधन के कानूनी प्रभाव क्या है ?

प्रतिबन्ध संशोधन के पांच मुख्य कानूनी प्रभाव है :

1. निम्नलिखित देश (वे देश जो प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार कर चुके है और परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध है) उन देशो के लिए किसी भी कारण से खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर पाएंगे जो परिशिष्ट में शामिल नहीं है : ऑस्ट्रिया, बेलजियम, बुलगेरिया, चिली, क्रोटिया, साइप्रस, चैक रिपब्लिक, डेनमार्क, इसटोनिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैण्ड, इटली, लातविया,

लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैण्ड, नार्वे, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रोमनिया, स्लोविकया, स्लोविनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विजरलैण्ड, टर्की, और यूनायेटड किंगडम ।

2. वे पार्टियां जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार कर लिया जो परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध नहीं है वे अवश्य परिशिष्ट VII पार्टियों से खतरनाक कचरे को स्वीकार नहीं करेंगे । इसलिए निम्नलिखित देशो, ओ.ई.सी.डी सदस्यो, ई.यू सदस्य राज्य या, लिकटेंनस्टीन, से खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते हैः अल्बीनिया, अल्जीरिया, एनडोरा, एन्टीगुआ और बारबुडा, अर्जेन्टीना, बहरीन, बेनिन, बोलविया, बोटस्वाना, ब्रुनेई, दारूस्सलाम, चीन, कोलम्बियां, कांगो, कुक आइसलैण्ड, कोटे-डी-आइवर, इक्यूडोर, ईज्प्ट, अल-स्लावोडार, इथोपिया, गाम्बिया, घाना, ग्वाटमाला, गुनिया, इन्डोनिशया, ईरान, जमाइका, जोर्डन, केन्या, कुवैत, लेबनान, लेस्थो, लाइबिरिया, मलावी, मलेशिया, मालदीप, माल्टा, मारशिस, मोनाको, मोटेब्रेगो, मोरेक्को, नामबियां, निगर, नाइजीरिया, नार्थ मैकीडोनिया, ओमान, पनामा, पैराग्वे, पेरू, कतर, मोलडोवा, सउदी अरब, सरबिया, सेलेशस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सेन्ट किट्स और नेविस, सेंट लुसिया, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनिशया, तन्जानिया, ऊरग्वे, और जाम्बियां ।

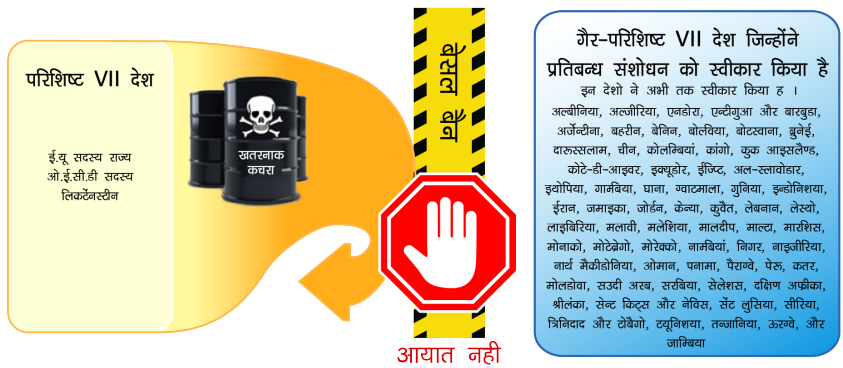

3. सभी बेसल पार्टियो को राष्ट्रीय कचरा आयात या अन्य पार्टियो के निर्यात प्रतिबन्धो का सम्मान करना चाहिए । जैसे, यहां तक कि वे देश जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है उन्हें भी का उनका सम्मान करना होगा जिन्होंने इसे स्वीकार किया है । इसलिए परिशिष्ट VII में जिन देशो ने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है, वे गैर-परिशिष्ट VII देशो, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है, के लिए खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते है । इसी प्रकार गैर-परिशिष्ट VII देश जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है वे परिशिष्ट VII देशो से खतरनाक कचरे का आयात नहीं कर सकते है ।

4. 5 दिसम्बर 2019 को प्रतिबन्ध संशोधन के कानूनी रूप लेने के बाद यह अनुच्छेद 4 ए के रूप में बेसल समझौते का हिस्सा बन गया । इसका यह अर्थ है कि यह प्रतिबन्ध संशोधन उन देशो के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिन्होंने इस तिथि के बाद इस संधि को स्वीकार किया है (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) क्योंकि ये अब इस संधि का हिस्सा होगा ।

5. क्योंकि प्रतिबन्ध संशोधन अब समझौते का एक हिस्सा बन गया है इसलिए इसके उल्लंघन को समझौते के तहत अन्य अवैध व्यापार के समान माना जाएगा । राष्ट्रीय नागरिको या निगमो द्वारा उल्लंघन को अवैध व्यापार माना जाएगा और प्रतिबन्ध संशोधन स्वीकार करने वाले देश द्वारा अपराधिक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा । यदि कोई आयात करने वाला देश या निर्यात करने वाला देश जिसने इसे प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार किया है, इसे लागू करने में असफल रहता है या इसकी अनदेखी करता है, जिसमें अन्य देश के समर्थन का सम्मान नहीं करना शामिल है, इसे आज्ञापालन नहीं करना समझा जाएगा और यह समझौते की आज्ञा पालन नहीं करने की प्रकिया के साथ साथ अर्न्तराष्ट्रीय निन्दा का विषय समझा जाएगा।

प्रतिबन्ध संशोधन के राजनीतिक प्रभाव क्या है ?

प्रतिबन्ध संशोधन के तीन मुख्य राजनीतिक प्रभाव है :

1. परिशिष्ट VII देश जिन्होंने अभी तक प्रतिबन्ध संशोधन को अभी तक स्वीकार नहीं किया है वे कानून की परवाह किए बिना, इसे स्वीकार करने और गैर-परिशिष्ट VII देशो से निर्यात न करने के कुछ दबाव में होगे । इन देशो में शामिल है : ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण कोरिया और सयुंक्त राज्य अमेरिका ।

2. गैर परिशिष्ट-VII बेसल पार्टियां जिन्होंने अभी तक प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है वे अपनी बेसल प्रतिबद्धताओ में सुधार करने की इच्छा करेंगे और खतरनाक कचरे के आयात से खुद को बचाएंगे । वर्तमान में इसमें ये देश शामिल है : अफगानस्तिान, अंगोला, अरमीनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बारादोस, बेलारुस, बेलाइज, भूटान, बोसनिया और हरजीगोविना, ब्राजील, बुरकिना, फासो, ब्रुन्डी, काबो वरडी, कम्बोडिया, कैमरून, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, कामरोस, क्यूबा, डैमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डैमोक्रेटिक पीपलस रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डजीबोउटी, डोमनिका, डोमेनीकेन, रिपब्लिक इक्वेटोरियल, गिनी, इरिट्रिया, एस्वेटिनी, गैबान, जॉजिया, गिनी-बसाऊ, गुयाना, होंडुरास, भारत, इराक, इजरायल, कजाकिस्तान, किरिबाती, किर्गिस्तान, लीबिया, लाओस, मेडागास्कर, माली, मार्शल द्वीप, मॉरिटनिया, माइक्रोनिशया, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नाउरू, नेपाल, निकारागुआ, पाकिस्तान, प्लाऊ, पापुआ, न्यू गिनिया, फिलीपींस, मोल्दोवा गणराज्य, रशियन संघ, रंवाडा, समोआ, साओ टोम और प्रिंसिपे, सेनेगल, सिएरा लियोन, सिंगापुर, सोमलिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइन, फिलिस्तीन, सूडान, सूरीनाम, ताजिकिस्तान, थाइलैण्ड, टोगो, टोन्गा, तुर्कमेनिस्तान, युगाण्डा, यूक्रेन, युनाइटेड अरब अमीरात, उजबेकिस्तान, वानुतु, वैनुजला, वियतनाम, यमन, और जिम्माबवे ।

3. सामान्यतः अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के लागू होने से, खतरनाक कचरे का अमीर औद्योगिक शक्तियों से गरीब देशो को होने वाले निर्यात को एक अपराधिक या गैर-जिम्मेदराना व्यवहार, जो कि अन्य प्रकार का वास्तविक लागतो का शोषणकारी बाह्यीकरण और गरीब देशो को नुकसान समझा जाएगा ।

प्रतिबन्ध संशोधन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है?

डाउनस्ट्रीम (प्रवाह के साथ) प्रभाव : पहले से ही, इसके प्रभावी होने से पहले, यदि हजारो नहीं तो कई सैंकड़ो खतरनाक कचरे के लदे हुए जहाज, जिसमें इलॅक्ट्रिनक कचरा और अप्रयुक्त जहाज शामिल थे, को हटा लिया गया जब यूरोपियन संघ, नार्वे और स्विजरलैण्ड ने 1995 में इसे स्वीकार करने के कुछ समय बाद ही प्रतिबन्ध संशोधन को अपना लिया। इसके प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती, पर संसार के विकासशील और विकसित देशो के बीच पर्यावरणीय और श्रम बचाव के असमान क्षेत्र के मानदण्डो के कारण; यह अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि विश्वास से कह सकते है कि कई लोगो को बचाया गया है, पानी और वायु संसाधनो को अदूषित रखा गया, वन्यजीवो की रक्षा की गई, और विकासशील देशो में व्यवसायिक बीमारी से होने से बचाया गया । विकसित से विकासशील देशो को कचरे के व्यापार के कारण खराब कचरे के प्रबन्धन के प्रभावो के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया Basel Action Network website देखे ।

अपस्ट्रीम (प्रवाह के विपरीत) प्रभाव : कीमतो के समावेशन और नुकसान को विनियमन के माध्यम से लागू करने से, कचरे की समस्या के समाधान प्रवाह के विपरीत समाधान एक आर्थिक आवश्यकता बन गए है । अपस्ट्रीम समाधानो में शामिल है कचरे के उत्पादन से बचाव करना और पहली अवस्था में खतरनाक निवेशो से बचना अधिक प्रभावी है और दीर्घकाल में डाउनस्ट्रीम प्रदूषण की कमी अधिक आर्थिक है । इस तरह, मात्रात्मक नहीं होने के बावजूद, हजारो टन कचरे को प्रतिबन्ध संशोधन को जल्दी अपनाने से बचाया गया जबकि कचरे के उत्पादन को रोकने के लिए नए तरीको को फैलाया गया ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और और सबसे आधुनिक संशोधनो में कुछ प्लॉस्टिक कचरे को समझौते में शामिल करने के बीच कोई सम्बन्ध है ?

देशो के 14वें सम्मेलन में बेसल समझौता संशोधनो को स्वीकार किया गया उनमें परिशिष्ट II (ध्यान देने योग्य कचरे)में शामिल कुछ प्लॉस्टिक कचरे भी शमिल थे, जिन्हें अवश्य ही खतरनाक कचरे के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है । प्रतिबन्ध संशोधन केवल खतरनाक कचरो पर लागू होता है । हालाकिं, जब प्रतिबन्ध संशोधन को लागू करते समय देशो को परिशिष्ट II में शामिल कचरो को प्रतिबन्ध संशोधन को अपने राष्ट्रीय कार्यान्यवन भाषा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि परिशिष्ट II में शामिल कचरो को भी शामिल किया जाए । यह सब यूरोपीय संघ के सभी 28 सदस्य देशो ने अपने कचरे के ढेर के विनिमयन के लिए किया ।

रोटरडैम समझौते और प्रतिबन्ध संशोधन के बीच क्या सम्बन्ध है?

जब रोटरडैम समझौते में सूचीबद्ध रासयनिको को बेसल परिशिष्ट IV गंतव्य (वसूली या निपटान संचालन) के लिए निधार्रित किया गया तब सम्भवतः इसे परिशिष्ट VII में शामिल देशो (ओ.ई.सी.डी, ई.यू, और लिंकेटस्टीन) को गैर परिशिष्ट VII देशो से निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। सिर्फ बहुत कम घटनाओ में जब ऐसा रसायिनक बेसल के परिशिष्ट ८ की सूची में नहीं है और उसमें परिशिष्ट III में बताई गई कोई खतरनाक विशेषताएं नहीं है तो यह नियम नहीं होगा ।

स्टॉकहोम समझौते और प्रतिबन्ध संशोधन के बीच क्या सम्बन्ध है ?

जब स्टॉकहोम समझौते में परिभाषित किए गए पी.ओ.पी को बेसल परिशिष्ट IV गंतव्य (वसूली या निपटान संचालन) के लिए निधार्रित किया गया तब सम्भवतः इसे परिशिष्ट VII में शामिल देशो औार गैर परिशिष्ट VII देशो से निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। सिर्फ बहुत कम घटनाओ में जब ऐसा रसायिनक बेसल के परिशिष्ट ८ की सूची में नहीं है और उसमें परिशिष्ट III में बताई गई कोई खतरनाक विशेषताएं नहीं है तो यह नियम नहीं होगा । निर्यात पर बन्धन में निम्न पीओपीएस की सीमा के ऊपर के स्तरो पर उपभोक्ता के प्रयोग के बाद कचरा उत्पाद जैसे पीबीडीईएस (ब्रोमिनेटेड फलेम रिटार्डेंट्स) के स्तर से दूषित प्लॉस्टिक शामिल हो सकता है ।

अब जब यह लागू होने जा रहा है, तो प्रतिबन्ध संशोधन स्वीकार करने वाले देशो को जल्द से जल्द सम्भावित तिथि को इसे स्वीकार क्यों करना चाहिए ?

1. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और पर्यावरणीय अन्याय को बचाने के लिए, विशेषतः विकासशील और बदलाव की स्थिति वाले देश, सभी बेसल देशो को इसे जल्द से जल्द सम्भावित तिथि को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

2. अन्य पार्टियोंके निर्यात और आयात बन्धनो का सम्मान करने के दायित्व के बावजूद, यह संशोधन किसी पार्टी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते है । वर्तमान में बेसल समझौता में 187 पार्टियां और बेसल प्रतिबन्ध संशोधन में 97 पार्टियां है । 5 दिसम्बर 2019 को प्रतिबन्ध संशोधन बेसल समझौते का हिस्सा बन गय और फिर भी अब तक कानूनी रूप से नए अनुच्छेद 4 ए को अपने देशो, पार्टियो मे इसके वैध होने के लिए इन्हें अलग से स्वीकार करना होगा । प्रतिबन्ध संशोधन के बिना समझौता पुराने समय का है । समय के साथ चलने के लिए पार्टियो को अपने समर्थन पैकेज के साथ साथ अपने राष्ट्रीय कानून में सुधार करना होगा । 187 बेसल पार्टियो और 97 संशोधन पार्टियो के बीच के अन्तर को समाप्त करना होगा ।

3. परिशिष्ट VII पार्टियां जो अभी तक प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं कर पाई है उन्हें हानिकारक कूटनीति पर विचार करना चाहिए और पकड़ को स्वीकार करने से इन्कार करना चाहिए । यह कहना बराबर है कि “हम विकासशील देशो को खतरनाक कचरे का निर्यात का विकल्प बनाए रखना चाहते है, तब भी जब बेसल समझौता, जिसकी हम पार्टी है, इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए बदल दिया गया है ।”

4. गैर-परिशिष्ट VII देशो के लिए जिन्होंने अभी भी प्रतिबन्ध को स्वीकार नहीं किया है, वे अनजाने में एक संदेश भेज रहे है, जिसके अनुसार “हम विकसित देशो से खतरनाक कचरे के आयात के विकल्प को बनाए रखना चाहते है, भले ही हम बेसल समझौते की एक पार्टी है, इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए बदल दिया गया है ।”

प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करने वाली पार्टियों को क्या अब भी यह करने की आवश्यकता है कि यह लागू हो रहा है?

1. पार्टिया, जो पहले से ऐसा नहीं कर रही है, जैसे ही सम्भव हो यह सुनिश्चित करें कि उनका राष्ट्रीय कानून खतरनाक कचरे के लिए प्रतिबन्ध संशोधन को ठीक से लागू करें । इसके अर्न्तगत, इस समय, हम उन्हें भी जोड़ने का आग्रह करते है, बेसल परिशिष्ट II प्रतिबन्धित सामग्री की सूची, जैसा कि ई यू ने किया है । ध्यान दे, कि परिशिष्ट II में वर्तमान में निम्नलिखित कचरे शामिल है : घरो से एकत्र कचरे (वाई 46) और घरेलू कचरे की भस्म से उत्पन्न होने वाले अवशेष (वाई 47) । जब नया प्लॉस्टिक संशोधन 1 जनवरी 2021 को लागू होगा, तो परिशिष्ट II में अधिकतर मिश्रित प्लॉस्टिक कचरे होगे, सिवाय वे जो खतरनाक है या कचरे जो पुनः प्रयोग के निर्धारित है और जिसमें लगभग विशेष रूप से एक गैर-हालोजिनेट पॉलीमर (जैसे पॉलीइप्रापलिन आदि), या एक ठीक घना या गाढ़ा उत्पाद (जैसे यूरिया फॉमेल्डिहाइड रेजिन) या फलोरिनेटेड पॉलिमर (जैसे पॉलीवी-नाइलिडीन फार्मेल्डिहाइड)। पार्टियो को भी कानून द्वारा शामिल किए गए कचरे को जोड़कर अपने राष्ट्रीय कानून के सुरक्षात्मक दायरे को व्यापक बनाने पर विचार करना चाहिए । कुछ देशो ने, कार्यक्षमता की परवाह किए बिना, बहुत पुराने या अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादो को अपने खतरनाक कचरे की सूचियों में शामिल किया है । बेसल समझौते के अर्न्तगत इन राष्ट्रीय उपायो/ परिभाषाओ को अन्य पार्टियो द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए ।

2. पार्टियों को आचरण उपायो को स्थापित करना चाहिए और अवैधता को रोकने के लिए नए कानून/ कानूनो के बारे में निजी उद्योगो को सूचित करना चाहिए ।

3. पार्टियो को एक बार फिर से सभी बेसल अनुच्छेद 11 समझौतो की समीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने जिन समझौतो स्वीकार किया है क्या वे नए प्रतिबन्ध संशोधनो के दायित्वो अनुसार भी मान्य है । विशेष रूप से जहाजो के पुनर्चक्रण (रिसाकलिंग) पर हांगकांग सम्मेलन (प्रयोग में नहीं) और यूरोपीय संघ जहाज पुनर्चक्रण (रिसाकलिंग) विनियमन (लागू है) । ये दो जहाज पुनर्चक्रण (रिसाक. लिंग) समझौते कई मामलो में बेसल सम्मेलन की तुलना में कमजोर है और प्रतिबन्ध संशोधनो को "नियन्त्रण के स्तर के बराबर", जैसा कि अनुच्छेद 11के समझौते के अनुसार आवश्यक है, लागू करने की अनुमति नहीं देते है ।

ई–कचरा व्यापार को उदार बनाने की योजना के लिए पार्टी के आशय ?

इसके अलावा जो पहले से ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि बेसल सम्मेलन की पार्टियों को अन्तरिम रूप से अपनाई गई इलेक्ट्रॉनिक कचरे की सीमा पार गतिविधि के लिए अपनाई गई गाइडलाइन को फिर से देखना चाहिए । यह गाइडलाइन अपने पैराग्राफ 31 में एकतरफा दावा करती है कि गैर–कार्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो को गैर–कचरा घोषित किया जा सकता है जब मरम्मत के लिए निर्यात करने का दावा किया हो । हालाकिं, जब प्रतिबन्ध संशोधन लिखे गए और जब अधिकतर देशो ने इसे स्वीकार किया, तब ऐसा पहले कभी नहीं पता था। ई–कचरे के प्रवाह, जिसे नई ई–वेस्ट गाइडलाइन ने अनुचित तरीके से डिजाइन किया है जिससे कचरे की परिभाषा को संकुचित करने के माध्यम से इसे विकसित देशो से विकासशील देशो में ले जाया जाएगा । इस प्रकार, नई गाइडलाइन, जब तक बदली नहीं जाती, प्रतिबन्ध संशोधन के मूल इरादे और उद्देश्य को कहीं कम नहीं आंका जाए । इसलिए यह उचित होगा कि गाइडलाइन के माध्यम से कचरे की परिभाषा को बदलने और अंतिम रूप से अपनाने से पहले वर्तमान गाइडलाइन को सही करने से बचे ।

प्रतिबन्ध संशोधन के विरूद्ध सामान्य रूप से सुने जाने वाले तर्को के उत्तर क्या है ?

तर्क – 1 यदि कोई देश जो ओ ई सी डी या ई यू का सदस्य राज्य नहीं है तो यह अब भी खतरनाक कचरे को ठीक तरीके से संभाल सकते है, इसलिए प्रतिबन्ध संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

व्यापार को नियत्रिंत करने के उद्देश्यो के लिए विकसित देशो और विकासशील या बदलाव की स्थिति वाले देशो को परिभाषित करने वाली विभाजन रेखा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और आलोचक परिशिष्ट VII के अन्तरो की ओर इशारा करती है । लेकिन प्रतिबन्ध संशोधन में बेसल पार्टियो द्वारा किए गए अन्तर न केवल किसी देश के अपेक्षित सम्पति (मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जाल, कानूनी और तकनीकी बुनियादी ढ्राचे को प्रदान करने के लिए), बल्कि सम्बन्धित लोकतांत्रिक मानदण्डो के साथ–साथ नागरिको के अधिकारो और सुरक्षा की दृढ्ता से सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होना चाहिए।

निश्चित रूप से, सैद्धातिंक रूप से एक विकासशील देश में एक अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण कर सकता है, हालांकि देश में फैलाव की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने या पूरे जीवन काल में अत्याधुनिक कार्यो को बनाए रखने के लिए अपेक्षित संसाधन नहीं होगें; या आवश्यक डाउनस्ट्रीम कचरा प्रबन्धन स्वास्थ्य या कानूनी क्लीनिक या श्रमिको और समुदायो की सुरक्षा और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की आवश्यक कानून और प्रर्वतन है । और यह सम्भव है कि इस तरह की सुविधा के लिए आयातित खतरनाक कचरे का निरन्तर प्रवाह की आवश्यकता होगी जो देश को एक असहनीय खतरनाक कचरा संवेदनशील स्थान में बदल सकता है ।

विकसित से विकासशील देशो को कचरे के व्यापार ने नकारात्मक बाहरी तत्वों के शोषण को सम्भव बनाया जो कचरा प्रबन्धन सुविधा के दायरे से कहीं आगे बढ़ जाता है । उन्हें एक देश के संदर्भ और सामाजिक “सुरक्षा जाल” के साथ अपने नागरिको और पर्यावरण की रक्षा करने की क्षमता से भी परिभाषित किया गया है । एक सुविधा के अन्दर नियोजित तकनीक के बावजूद यह बहुत कम सम्भावना है कि एक

गैर–परिशिष्ट VII देश सुरक्षा के समान पैकेज को वहन कर सकें जो एक परिशिष्ट VII देश सिर्फ अपने तुलनात्मक धन के आधार पर वहन कर सकता है । विकसित देश बलपूर्वक यह कहते है कि विकासशील देश पर्याप्त रूप से खतरनाक कचरे को सम्भाल सकते है, वे तकनीक के बारे में सैद्धान्तिक तर्क दे सकते है लेकिन इस तथ्य की अनदेखी करते है कि अमीर से गरीब देशो में निर्यात करने का असली कारण आर्थिक – कीमतो को अमल में लाना और ऐसा करने में कमजोर अर्थव्यवस्थाओ का शोषण करना है ।

तर्क – 2 कचरे के लिए व्यापार बाधाएं अंततः चक्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है जिसके लिए पुनचर्क्रण (रीसाइक्लिंग) को बढ़ाने और कचरे को उत्पादन केन्द्रो में वापस भेजने की आवश्यकता होती है ।

चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा में नकारात्मक बाहरी तत्वो के प्रभावो के बारे में समझ शामिल है जो एक सच्ची सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक खेल के मैदान को नष्ट कर देती है । कचरे के व्यापार में, नकारात्मक बाहरी तत्व, विकासशील देशो समुदायो और परिस्थितिकी तन्त्र द्वारा खतरनाक कचरे के प्रभावो की लागत 'भुगतान' का प्रतिनिधित्व करती है जो कि विकसित देश के कचरा उत्पादको द्वारा वहन नही की जाती है। ऐसे बाहरी तत्व वास्तविक घेरे को कम करती है, क्योंकि यह कचरे निर्माण को रोकने और खतरनाक आगत से बचने के अपस्ट्रीम डिजाइन परिवर्तनो की अपेक्षा कचरे के सस्ते और गन्दे स्थानो को प्रोत्साहित करती है ।

जिम्मेदार पुनचर्क्रण (रीसाइक्लिग) सर्वोतम रूप से सम्भवतः उत्पति के .स्त्रोत के नजदीक किया जाता है और निश्चित रूप से असमान आर्थिक खेल के मैदान में नहीं होता है जहां सम्बन्धित कमजोरी हो सकती है और शोषण हो सकता है । इस बीच, विकासशील देशो से कचरे और उत्पादो को लाने और ले जाने के लिए कमजोर अर्थव्यवस्थाओ में पाए जाने वाले सस्ते श्रम और कम या खराब तरीको से लागू पर्यावरण और श्रम नियम और कमजोर मूलभूत ढ़ांचा हमारी विनाशकारी जलवायु, पर महासागरीय परिवहन से उत्पन्न अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन के कारण, अतिरिक्त भारी बोझ हो सकता है ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और भारत

खतरनाक कचरे की सीमापार आवाजाही के प्रबन्धन के भारत के प्रयास

1990 के दशक में वैश्विक दक्षिण के देशो में पहला देश था जिसने विकासशील देशो को निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग किया । भारत ने 1992 में बेसल समझौते के लागू होने से पहले ही 1989 में भारत में खतरनाक कचरे नियमों को अधिसूचित किया, और भारत 1992 में बेसल समझौते की पार्टी बन गई । इसके बाद, भारत ने पहले 2000 में अपने नियमों में संशोधन किया और फिर 2003 में समझौते के साथ ठीक पंक्ति में आने के लिए राष्ट्रीय कानून संशोधित किया गया । 2008 में खतरनाक कचरा नियमों का एक संशोधित संस्करण घोषित किया गया था ।

वर्षो से खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही का मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है । 2016 में नियमों को फिर से संशोधित किया गया था । उन्हें अब खतरनाक और अन्य कचरे (प्रबन्धन और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 कहा गया । व्यापार किए गए कचरो के बीच इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए 2016 में ई-कचरा प्रबन्धन नियम पारित किए गए ताकि बड़ी मात्रा में ई-कचरे का प्रबन्धन किया जा सकें ।

हाल ही में, मार्च 2019 में, देश ने विशेष आर्थिक क्षेत्रो (एस ई जेड) और निर्यात उन्मुख इकाईयों (ई ओ यू) सहित देश में ठोस प्लॉस्टिक कचरे के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध पारित कर दिया ।

प्लॉस्टिक प्रतिबन्ध एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार ने अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया है । हालाकिं भारत में खतरनाक कचरे के आयात पर राष्ट्रीय प्रतिबन्ध नहीं है और उन्होंने अभी तक बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है, जो वैशिवक कचरा व्यापार के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण होगा । यह उल्लेख करना उचित है कि चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अन्य प्रमुख कचरा आयात करने वाले देशो ने बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार किया है । दक्षिण एशिया के मालदीव और श्रीलंका ने भी इसे स्वीकार कर लिया है ।

भारत को बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को क्यों स्वीकार करना चाहिए ?

भारत, दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओ में से एक के रूप में, अपने स्वयं के खतरनाक कचरे के प्रबन्धन में कठिनाई अनुभव कर रहा है । इसलिए, आयात के माध्यम से अधिक खतरनाक कचरे की सम्भावना को रोकने के लिए बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करना समझदारी होगी । क्योंकि भारत बेसल प्रतिबन्ध संशोधन का पार्टी नहीं है, इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कोई लाभ नहीं है, ऐसा उपकरण दूसरे देशो को यह सुनिश्चित कर सकता है कि देश ई-कचरे सहित कचरे के लिए भारत को डंपिग मैदान के रूप में प्रयोग नहीं करे ।

इस संशोधन का एक आसान अर्थ है कि परिशिष्ट VII देश जिन्होंने बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार कर लिया है वे भारत को खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते है । हालाकिं, परिशिष्ट VII देश जिन्होंने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया है उन्हें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वे अपना कचरा भारत को निर्यात नहीं करें जब तक भारत ने समान प्रतिबन्ध नहीं लगाया हो और सचिवालय के द्वारा बेसल पार्टियों को सूचित किया हो । उन्हें भारत से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । हालाकिं, यदि भारत प्रतिबन्ध संशोधनो को स्वीकार नहीं करता, परिशिष्ट VII पार्टियां जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधनो को स्वीकार नहीं किया वे पूर्व सूचित सहमति के लिए संधि के दायित्वो को स्वीकार करते हुए भारत को खतरनाक कचरे का निर्यात नहीं कर सकते है । जैसा कि अधिकतर पार्टियां संशोधन को स्वीकार करती है, परिशिष्ट VII पार्टियां जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधनो को स्वीकार नहीं किया है उन्हें अनैतिक व्यापारियों द्वारा

खतरनाक कचरे के निर्यात स्थलो के रूप में देखा जाएगा । भारत को उनमें से एक नहीं होना चाहिए, यह ध्यान देने योग्य बात है कि चीन, इन्डोनेशिया, मलेशिया और अन्य पार्टियो ने पहले ही संशोधन को स्वीकार कर लिया है और इसलिए अपने द्वार खतरनाक कचरे के आयात के लिए बन्द कर लिए है । अन्त में, बेसल समझौते को 5 दिसम्बर, 2019 को मूल रूप में एक नए अनुच्छेद 4 ए और परिशिष्ट II के साथ बदल दिया गया है । मूल समझौते को अब पुराना माना जा सकता है । इन कारणो से, हम भारत से अपेक्षा करेंगे वे जल्द से जल्द समझौते को स्वीकार करें ।

परिदृश्य – 1 परिशिष्ट VII पार्टियां जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार किया है और भारत, एक पार्टी जिसने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है, के बीच गतिविधि ।

नोट : "पार्टी" से अभिप्राय संशोधन न होकर पूरा अनुबन्ध है ।

परिदृश्य –II : परिशिष्ट VII पार्टियां जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है और भारत एक पार्टी जिसने प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है के बीच गतिविधि ।

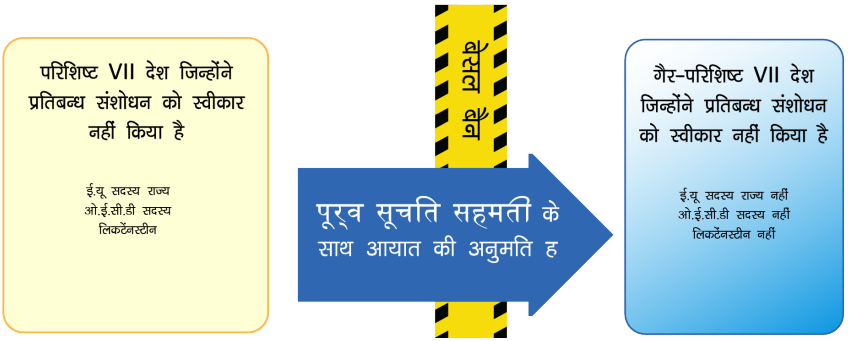

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और भारत का रिसाइकलिंग उद्योग

भारत में, कचरा रिसाइकलिंग कई लोगो के लिए रोजगार और आजीविका का एक स्त्रोत है । कचरा रिसा. इकलिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में औपचारिक और अनौपचारिक संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए है । इनमें से अधिकांश नौकरियों को भारत में रखा गया है और उन्हें अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा । बेसल प्रतिबन्ध संशोधन केवल आयातित कचरे, और केवल वे ही जा खतरनाक है, को सीमित करता है । इनमें निरन्तर जैविक प्रदूषक (पी ओ पी), इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्रयुक्त जहाजो, ज्वलनशील तरल पदार्थो और विषाक्त भारी ध ातुओ के कचरे शामिल है ।

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन और ई-कचरा व्यापार

ई-कचरा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती कचरा धाराओ में से एक है और इसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्त्रोत के रूप में पहचाना जाता है । दुनिया में प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन ई-कचरे का उत्पादन होता है ।[2] अमेरिका में स्थित बेसल एक्शन नेटवर्क (बैन) ने 2014 और 2017 के बीच दस यूरोपियन देशो और कई अमेरिकी राज्यो में रिसाइकलिंग सुविधाओ के लिए भेजे गए सैंकड़ो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो पर जी पी एस ट्रैकर लगा दिए । ऐसे कई उपकरणो को तब अफ्रीका और एशिया के कई देशो में ट्रैक किया गया।[3] इस सन्दर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने कुछ प्रमुख कमियों का पक्ष लिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के निर्यात की अनुमति देगा अगर व्यापारी यह दावा करे कि यह मरम्मत योग्य है । यह कमी ई-कचरे की सीमापार की गतिविधि वर्तमान में बेसल समझौते की तकनीकी गाइडलाइन्स में है । उनके श्रेय के लिए, भारत सरकार ने प्रतिबन्ध हटाने का विरोध करने वाली इन कमियों का कड़ा विरोध किया है । लेकिन, भारत को इस सम्बन्ध में एक तर्कसंगत नीति बनाने और प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करने के साथ-साथ खतरनाक "मरम्मत योग्य कमियों" का विरोध करने की आवश्यकता है ।

प्रतिबन्ध संशोधन और जहाज रिसाइकिंलिग उद्योग

भारत रिसाइकिंलिग के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है । यू.एन.सी.टी.ए.डी के आंकड़ो के अनुसार, 2018 में दुनिया में जितने जहाज रिसाइकिल किए गए उसका सकल टन भार का लगभग 26 प्रतिशत भारत में किया गया ।[4] बेसल समझौता अप्रयुक्त जहाजो को खतरनाक कचरे का एक रूप मानता है और इसलिए बेसल समझौता, जिसमें बेसल प्रतिबन्ध के साथ लागू करने का अर्थ है बिना पहली बार खतरनाक पदार्थो को साफ किए कचरे के इन रूपो में भी लागू नहीं होना है ।

निष्कर्ष

कचरे का व्यापार अक्सर एक सच्ची सर्कुलर अर्थव्यवस्था का अक्सर उल्लंघन है । यह बहुत ही सीधे तरीके से लागतो के बाहरी कारणो का लाभ उठाता है - दूसरो को नुकसान का भुगतान करता और प्रदूषण के स्त्रोत को सबसे अच्छे तरीके से रोकता है । सभी पर्यावरणीय, सार्वजनिक, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक लागतो को ध्यान में रखते हुए बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार करने से भारत को उन लागतो के लिए आंतरिक लाभ होगा जो उनके लिए जिम्मेदार है। चीन इस कारण से अप्रयुक्त जहाजो सहित कचरे

---

2 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-report-time-seize-opportunity-tackle-challenge-e-waste

3 https://www.euronews.com/2019/02/07/eu-e-waste-illegally-exported-to-developing-countries-report, www.ban.org/trash-transparency (see reports "Scam Recycling" and "Holes in the Circular Economy".

4 https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/shipping-/-transport/can-a-new-ship-recycling-law-help-india-regain-its-status-as-the-worlds-top-dismantler-of-vessels

के आयात पर प्रतिबन्ध लगााने का मजबूती से समर्थन रहा है । भारत का इसका पालन करना बुद्धिमता होगा । ऐसा करने से वे गैर–परिशिष्ट VII देशो के आगे होने वाले शोषण को रोकने के लिए अन्य विकासशील देशो को प्रोत्साहित करने में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है ।

एक बार भारत जब प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार कर लेगा, इसे अपने वर्तमान खतरनाक कचरा नियम को सुधारना होगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हो सकते है :

- देश में खतरनाक कचरे के आयात पर यहां तक कि रिसाइकिलिग पर भी प्रतिबन्ध लगाना, क्योंकि रिसाइकिलिंग के नाम पर बहुत सारा कचरे का ढेर लग जाता है ।
- किसी भी अवैध कचरे के ढेर में मूल देश में कचरे को वापस करने की प्रक्रिया का निर्माण करना ।
- खतरनाक कचरा पदार्थो की सूची का संशोधित और नवीनीकरण करना ।

परिशिष्ट – 1 बेसल प्रतिबन्ध संशोधन की विषय–वस्तु

बेसल प्रतिबन्ध संशोधन बेसल समझौते में संशोधन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबन्ध है जिसमें एक नया प्रस्तावना पैराग्रॉफ, एक नया अनुच्छेद (4 ए) और एक नया परिशिष्ट VII है । इन तीनो जोड़े गए संशोधनो का प्रभाव परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध देशो, जिसमें आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन के सदस्य राज्य, यूरोपियन संघ और लिंकटेंस्टीन शामिल है, को समझौते द्वारा परिभाषित कचरो को किसी भी आयात करने वाले या बदलाव की स्थिति वाले देश जो परिशिष्ट VII में शामिल नहीं है, निर्यात से प्रतिबन्धित करना है । जब यह लागू होगा तो यह सभी देशो पर बाध्यकारी होगा जिन्होंने इसे स्वीकार किया है और उन देशो के लिए भी जिन्होंने प्रतिबन्ध संशोधनो के लागू होने के बाद इसका हिस्सा बने है, प्रतिबन्ध संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी होगे । संशोधन किसी भी बेसल पार्टी द्व ारा समर्थन के लिए खुले है ।

प्रतिबन्ध संशोधन की विषय सामग्री को निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता हैः

शामिल नया प्रस्तावना पैराग्रॉफ 7

"खतरनाक कचरे की सीमा पार गतिविधि को मान्यता देते हुए, विशेषतः विकासशील देशो के लिए समझौते द्वारा आवश्यक रूप से खतरनाक कचरे के लिए पर्यावरणीय मजबूत प्रबन्धन का गठन नहीं करना एक बड़ा खतरा है ।"

शमिल नया अनुच्छेद (4 ए) :

1. "परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध प्रत्येक पार्टी, खतरनक कचरे की सभी सीमा पार गतिविधियो को रोक देगी, जो अनुबन्ध IV ए, से परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध नहीं है, परिचालन के लिए नियत है ।"

2. परिशिष्ट VII में सूचीबद्ध प्रत्येक पार्टी को 31 दिसम्बर 1997 के बाद हटा दिया जाएगा, और उसी समय से समझौते के अनुच्छेद 1(1) (ए) के अर्न्तगत सभी सीमा पार गतिविधियां जो परिचालन के लिए नियत है, जो परिशिष्ट IV बी से परिशिष्ट VII में जो सूचीबद्ध राज्य नहीं है । ऐसी सीमा पार गतिविधियां तब तक प्रतिबन्धित नहीं की जाएगी जब तक विचाराधीन कचरे को समझौते मे अर्न्तगत खतरनाक नहीं माना गया हो ।

"परिशिष्ट VII

पार्टियां और अन्य राज्य जो ओईसीडी, ईसी, लिंकटेंस्टीन के सदस्य है ।

परिशिष्ट – 2 प्रतिबन्ध संशोधन का इतिहास

मार्च 1989 में बेसल समझौते की रचना, स्विजरलैण्ड में उस विषाक्त कचरे में खतरनाक वृद्धि के कारण वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में हुई जो 1980 के दशक के उतरार्ध में महामारी बन गया था । इस नई संधि ने उत्पन्न हुई इस नई विपति को संबोधित करने की मांग की, जैसे कि दुनिया के सभी विकासशील देशो ने इस नए "विषाक्त उपनिवेशवाद" को तुरन्त प्रतिबधिंत करने की मांग की । दुर्भाग्यवश, अर्न्तराष्ट्रीय कानून निर्माण सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है, नए बेसल कानून को स्वीकार्यकता बहुत कम देशो से मिली, विकासशील देशो को निराशा हुई क्योंकि अमीर देशो जैसे अमेरिका और जापान ने सबसे कम सामान्य विभाजक का गठन किया और व्यापार प्रतिबन्ध की धारणा को वीटो कर दिया । विशेष रूप से अफ्रीकन देशो का समूह, जिन्होंने यूरोपियन कारखाने के कचरे से वैश्विक ढेर का खमियाजा भुगता था, वे अनुबन्ध की अन्तिम विषय सामग्री से बहुत निराश हुए जिसमें अंटर्कार्टिका के अलावा पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं था । एक और मध्य मार्ग के रूप में, एक पैराग्रॉफ (अनुच्छेद 15(7)) को इस आशा के साथ समझौते में जोड़ा गया कि पार्टियो द्वारा भविष्य में पूर्ण प्रतिबन्ध पर विचार किया जा सकता है । फिर भी, जैसा कि ग्रीनपीस ने सम्मेलन केन्द्र पर एक बैनर लटकाया, जो इस प्रकार था "बेसल समझौता विषाक्त आंतक को वैध करता है", अफ्रीकन मींटिग छोड़कर चले गए और नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया और इसकी अपेक्षा अफ्रीका लौटकर अपना नया समझौता बनाने की कसम खाई – जिसमें उनके महाद्वीप के लिए निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा ।

बाद के वर्षो में, 1989 से 1992 तक, दुनिया भर में विकासशील देशो को श्रेय जाता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी पर वास्तव में अफ्रीका ने पहली बार क्षेत्रीय कचरा व्यापार प्रबिन्धो को अपनाने का नेतृत्व किया – दक्षिण प्रशान्त महासागर में वैगनी सम्मेलन, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में इजमिर प्रोटोकॉल, एक्यूरेडो रीजनल सोबरे एल मूवीमिएंटो ट्रांसफ्रन्टरीजो दी डीसेकोस पैलीग्रासोस और अफ्रीका की बामाको सम्मेलन आज तक स्थायी है । उस समय तक 1992 में बेसल पार्टियों का पहला सम्मेलन पिरापोलीस उरूग्वे में हुआ, तब तक क्षेत्रीय प्रतिबन्धो का समर्थन करने वाले इन देशो में से अधिकतर ने वैश्विक प्रतिबन्धो के लिए जोर देना शुरू कर दिया था, लेकिन यूएनईपी के कार्यकारी सचिव डॉ मुस्तफा तोलबा ने वोट डालने के लिए हतोत्साहित किया, इस तथ्य के बावजूद कि उस पहली बैठक में डेनमार्क के अलावा अन्य विकसित देशो में से किसी ने भी प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय का समर्थन नहीं किया ।

1994 में, जेनेवा में हुई पार्टियों के दूसरे सम्मेलन के द्वारा और इसके कई महीनो बाद ग्रीन–पीस क्रियाओ की श्रंखला के द्वारा मीडिया के दबाव के बाद दुनिया भर से यूरोपीय कचरे के शिपमेन्ट को अवरूद्ध करने और लौटने वाले यूरोपीय संघ और चीन ने वैश्विक प्रतिबन्ध के समर्थन ने जी 77(विकासशील देश ब्लॉक) में शामिल होने का फैसला किया । बहुत गर्मागम बातचीत के बाद जिसका श्रीलंका के डॉ नेसिया ने प्रतिनिधित्व करते हुए समूह को बताया कि जे.यू.एस.सी.एन.जेड (JUSCANZ)[5] हालाकिं वे क्रियान्वयन की तिथि पर बातचीत करने के लिए तैयार थे, उन्होंने बिना किसी अपवाद के प्रतिबन्ध की मूल अवधारणा को कमजोर करने से इन्कार कर दिया – वैश्विक प्रतिबन्ध को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया।

निर्णय II/12 में यह निर्णय लिया गया कि "विकासशील देशो" से "विकसित देशो" को किसी भी कारण से खतरनाक कचरे का निर्यात के अन्तिम निपटान के लिए प्रतिबन्ध को तुरन्त लागू किया जाएगा और रीसाइकिंलग के लिए दो साल और तीन महीने में हटा दिया जाएगा। निर्णय सर्वसम्मति से पास किया गया और मानवधिकारो और पर्यावरण के लिए मील के पत्थर के रूप में स्वागत किया गया।

---

5 At the time, this bloc included: Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Korea and the United States.

सबने सोचा होगा कि बहस समाप्त हो गई थी, पर ऐसा मामले से बहुत दूर था । जे.यू.एस.सी.एन.जेड (JUSCANZ) समूह ने बैठक के बाद विकसित देशो से विकासशील देशो को खतरनाक कचरे के निर्यात को प्रतिबन्धित करने के विरुद्ध एक लम्बी लड़ाई शुरू की, उन्होंने यह घोषणा की कि समझौते के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। हालाकिं संधि कानून की इस व्याख्या से बहुत से लोग सहमत नहीं थे दिंवगत श्री स्वेन्द औकेन, डेनमार्क के पर्यावरण मन्त्री ने लोहे का दस्ताना पहना और ध्मकी देते हुए घोषणा की कि वे अगली बैठक में वे प्रस्तावित संशोधन पर प्रतिबन्ध लगा देगे । सितम्बर 1995 में जेनेवा में होने वाले पार्टियों के तीसरे सम्मेलन के आसपास, दूसरी बार से अधिक संगठित और अच्छी तरह से संसाधनयुक्त विपक्ष के बावजूद प्रस्तावित संशोधन के निर्णय का निर्णय III / I के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

जे.यू.एस.सी.एन.जेड (JUSCANZ) देशो ने हालाकिं कभी भी संशोधन को लागू होने से रोकने के काम को हल्के में नहीं लिया। 1997 में एक नई स्थापित संस्था जिसे बेसल एक्शन नेटवर्क (बैन) के नाम से जाना गया, ने ग्रीनपीस के बाद समझौते पर कार्य बन्द करने का निर्णय लिया । बैन की रचना इन शक्तिशाली देशो और व्यापार लाबियों, जैसे इन्सटीयूट ऑफ स्क्रैप रिसाइकिंलिग इन्डस्ट्री और यू एस चैम्बर ऑफ कामर्स, के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखने के लिए हुई । प्रतिबन्ध संशोधन को गम्भीरता से और बार–बार चुनौती दी गई, पहली बार कई देशो के द्वारा परिशिष्ट VII में पानी को कम करने के प्रयास को शामिल करने इसे कचरा व्यापार "क्लब" का रूप दिया गया । जब इसे सी.ओ.पी IV में अस्वीकार कर दिया गया तो यह लेन देन परिशिष्ट VII का एक लम्बा और विवादास्पद विश्लेषण था, जो कई सालो के बाद बिना किसी निष्कर्ष के रूका हुआ था । एक समय पर यहां तक कि सम्मेलन के कथित तटस्थ सचिव – कथरीना कुमर – ने प्रतिबन्ध संशोधन के विरुद्ध बात की जबकि यह अधिकतर पार्टियो द्वारा समर्थन प्राप्त था । अनुच्छेद 11 को प्रतिबन्ध को नाकाम करने के लिए प्रयोग करने का प्रयास बन्द कर दिया गया था और फिर बाद में अन्तिम लड़ाई में यह दावा किया गया कि सम्मेलन में प्रयुक्त भाषा जो यह बताती है कि प्रतिबन्ध को किस प्रकार लागू किया जाए वह अस्पष्ट है और इस प्रक्रिया की सहज व्याख्या जे.यू.एस.सी.एन.जेड (JUSCANZ) द्वारा प्रदान की गई जो इसे स्वीकार करने के समय स्वीकार किए गए निश्चित समय के दृष्टिकोण की अपेक्षा वर्तमान में पार्टियों की संख्या के 3/4 का उपयोग करने पर बल देती है ।

"वर्तमान समय दृष्टिकोण" ने शायद अगले 30 सालो तक प्रवेश में देरी की ।

उस महत्वपूर्ण मोड़ पर, स्विजरलैण्ड और इंडोनेशिया बचाव के लिए आए । उन्होंने प्रतिबन्ध को लागू करने के लक्ष्य और गतिरोध को सुलझाने के लिए कन्ट्री लेड इनिशिएटिव (सी.एल.आई) की शुरूआत की । 2011 में कार्टाजेना, कोलम्बियां में सी.ओ.पी. 10 में, उस देश के नेतृत्व से सहायता प्राप्त करके, 1995 में स्वीकार करते समय और वर्तमान में मतदान करने वाली 3/4 पार्टियो के मतदान करने से, प्रतिबन्ध को लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय के साथ समाप्त हुआ ।

लगभग दस साल बाद, 2019में, क्रोएशिया के बाद सेंट किट्स और नेविस अन्तिम दो ऐसे देश थे जिन्हा.ंने इसे लागू करने के लिए अपेक्षित संख्या को पूरा किया । प्रतिबन्ध संशोधन 5 दिसम्बर 2019 को एक कानून बन गया ।

परिशिष्ट – 3 : परिशिष्ट VII देशे

I. ओ ई सी डी देश

1. आस्ट्रेलिया*
2. ऑस्ट्रिया
3. बेल्जियम
4. कनाडा * l
5. चिली
6. कोलम्बिया
7. कजिकिया
8. डेनमार्क
9. इसटोनिया
10. फिनलैण्ड
11. फ्रांस
12. जर्मनी
13. ग्रीस
14. हंगरी
15. आइसलैण्ड
16. आयरलैण्ड
17. इजरायल *
18. इटली
19. जापान *
20. दक्षिण कोरिया *
21. लटविया
22. लिथुनिया
23. लक्समबर्ग
24. मैक्सिको *
25. नीदरलैण्ड
26. न्यूजीलैण्ड *
27. नार्वे
28. पौलेण्ड
29. पुर्तगाल
30. सलोवाकिया
31. सलोविनया
32. स्पेन
33. स्वीडन
34. स्विजरलैण्ड
35. टर्की
36. यूनाइटेड किंगडम
37. अमेरिका *

II. ई यू सदस्य राज्य

1. ऑस्ट्रिया
2. बेल्जियम
3. बुल्गीरिया
4. क्रोटिया
5. साइप्रस
6. कजिकिया
7. डेनमार्क
8. इसटोनिया
9. फिनलैण्ड
10. फ्रांस
11. जर्मनी
12. ग्रीस
13. हंगरी
14. आयरलैण्ड
15. इटली
16. लटविया
17. लिथुनिया
18. लक्समबर्ग
19. माल्टा
20. नीदरलैण्ड
21. पौलेण्ड
22. पुर्तगाल
23. रोमनिया
24. सलोवाकिया
25. सलोविनया
26. स्पेन
27. स्वीडन

III. लिंकटेनस्टीन*

* जिन देशो ने अभी तक बेसल प्रतिबन्ध संशोधन को स्वीकार नहीं किया है । ध्यान दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका बेसल समझौते का पार्टी नहीं है ।

लेखक

आई पी ई एन – जो डीगाव्गी

बेसल एक्शन नेटवर्क (बैन) – जिम पकैट

टॉक्सिक्स लिंक – पीयूष महापात्रा (piyush@toxicslink.org) और

तृप्ति अरोड़ा (tripti@toxicslink.org)

basel action network

www.ban.org

Toxics Link
for a toxics-free world

toxicslink.org

IPEN
for a toxics-free future

www.ipen.org